क्लिनिकल प्रतिष्ठान कानून को लागू करें राज्य

नई दिल्ली, (भाषा) : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने निजी अस्पतालों पर लग रहे लापरवाही और अधिक पैसे वसूलने के आरोपों के मद्देनजर आज राज्यों से आग्रह किया कि वे निजी स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों के नियमन के लिए क्लिनिकल प्रतिष्ठान कानून को लागू करें। केंद्र ने निजी अस्पतालों में न्यूनतम सुविधा एवं सेवा मानक निर्धारित किए जाने के मद्देनजर देश में सभी क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के पंजीकरण एवं नियमन के लिए क्लिनिकल प्रतिष्ठान कानून बनाया था। मंत्री ने कहा कि सरकार आम आदमी की आवश्यकताओं के प्रति स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र को अधिक जवाबदेह बनाने तथा ऐसा नेटवर्क स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है जहां सरकार और निजी क्षेत्र किफायती दर पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर सकें।

उन्होंने कहा, स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था के इस प्रतिकूल समय में पक्षों को एक नीति ढांचा बनाने के वास्ते मतभेदों को दूर करने के लिए साथ बैठना चाहिए जिससे कि इस बारे में समाधान मिले कि नागरिकों को किस तरह किफायती सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल मिले। नड्डा ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आज यहां आयोजित 14वें भारत स्वास्थ्य सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र अनियमित नहीं रह सकता और इसीलिए हम राज्यों से क्लिनिकल प्रतिष्ठान कानून लागू करने के लिए कह रहे हैं। मंत्री ने रेखांकित किया कि चिकित्सा पेशे में संप्रेषण कौशल का अभाव है और चुनौतियों तथा अड़चनों के बारे में भी आम जनता को बताया जाना चाहिए।

नड्डा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया।